धारा 88 सीपीसी (?) प्र.सं. 453/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अमरो उर्फ अमरजीत कौर बनाम तहसीलदार	
25	वादीया द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि चक 5 LLW खाता सं. 5/47 में वादीया का नाम अमरो पत्नी मेजर सिंह व वादीया सं. 2 का नाम वीरा पुत्री मेजर सिंह दर्ज है उक्त नाम सही नही है इसलिए उक्त खाता में दर्ज खातेदार अमरो का नाम दुरुस्त कर अमरो उर्फ अमरजीत कौर व वीरा को दुरुस्त कर वीरा उर्फ रानी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड किया जावे। साक्ष्य के तौर पर दस्तावेज आधार कार्ड etc पेश किये। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार हनु० से रिपोर्ट तलब की गई। तहसील पत्रांक म्र: अ./2526 दिनांक 10/7/25 द्वारा अवगत करवाया गया है कि वादपत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि करते हुये अंकन किया है कि नाम दुरुस्ती की जानी उचित है। पत्रावली अवलोकन किया गया व बहस वादी पक्ष सुनी गई। वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि चक 5 LLW खाता सं. 5/47 में दर्ज खातेदार अमरो की जगह अमरो उर्फ अमरजीत कौर पत्नी मेजर सिंह व वीरा की जगह वीरा उर्फ रानी पुत्री मेजर सिंह दर्ज रिकार्ड कर नाम दुरुस्ती की जावे। शेष प्रविष्टियां यथावत रहे। पत्रावली नंबर से कम कर दाखिल दफ्तर की जाती है। आदेश सुनाया गया। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ	